न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद पत्र संख्या 1/549/2015

वउनवान

1. गुलजारी पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी जहाडू
2. मुकेश पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी जहाडू
3. विजयसिंह पुत्र प्रभाती जाति जाट निवासी जहाडू
4. रघुवीर पुत्र प्रभाती जाति जाट निवासी जहाडू
5. बसन्ती पुत्री प्रभाती पत्नी अतरसिंह जाति जाट निवासी जहाडू हालवासी कांटबाडी
6. लोकेश पुत्र नन्दलाल जाति जाट निवासी जहाडू
7. भूपसिंह पुत्र नन्दलाल जाति जाट निवासी जहाडू
8. सुनीता पत्नी स्व0 नन्दलाल जाति जाट निवासी जहाडू तहसील कठूमर

——— वादीगण

बनामं

1. कार्यक्रम अधिकारी नरेगा पंचायत समिति कठूमर
2. ग्राम पंचायत जहाडू जरिये सरपंच ग्रा0 पं0 जहाडू
3. सचिव ग्राम पंचायत जहाडू पंचायत समिति कठूमर

——— प्रतिवादीगण

दावा हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :–

श्री सुभाषचन्द 'अर्रूवा' एडवोकेट : वकील वादीगण

प्रतिवादीगण स्वंय उप0

निर्णय

दिनांक 04.05.2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 263 रकवा 0.40 हे. 262 रकवा 0.40 हे. ग्राम जहाडू तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस आराजी पर वादीगण काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित

उपखण्ड अधिकारी (अलवर)

आराजी से प्रतिवादीगण का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। विवादित आराजी में होकर ना तो कभी रास्ता रहा और ना अव है। लेकिन प्रतिवादीगण अपने पद का दुरूपयोग कर राजनैतिक प्रभाव में आकर जवरन वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में होकर ग्रेबल सडक का निर्माण करने की जस्तजु में है। जवकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो वादीगण को अपार हानि क्षति व असुविधा होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। प्रतिवादीगण को कानूनी प्रावधानों के तहत धारा 109 राज0पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी नोटिस दिया जाकर दावा हुक्मइन्तनाई पेश किया गया है। इस वजह से दावा वादीगण वावत स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जावे।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 262, 263 वाके ग्राम जहाडू में होकर कोई निर्माण नहीं हो रहा है बल्कि सडक का निर्माण खसरा नम्बर 151 गै0मु0 रास्ता में होकर किया जा रहा है। यदि खसरा नम्बर 262, 263 में अस्थाई नि ोधाज्ञा जारी होती है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादीगण खसरा नम्बर 262,263 की आड में गै0मु0 खसरा नम्बर 151 वाके ग्राम जहाडू पर अतिक्रमण कर रखा है। गै0मु0 रास्ता की पटवारी हल्का से नाप करवाकर सडक का कार्य प्रारम्भ कराया जावे हम प्रतिवादीगण विवादित आराजी में सडक का निर्माण नहीं कर रहे है। दावा वादीगण खारिज किया जावे।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 नक्शा ट्रेस वाके ग्राम जहाडू व नोटिस धारा 109 पंचायत राज अधिनियम व पोस्टल रसीद की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है प्रतिवादीगण नरेगा योजना के तहत विवादित आराजी में होकर निर्माण करना चाहते हैं इन्हें पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण को सुना गया जिन्होंने कथन किया कि हम विवादित आराजी में होकर किसी तरह का निर्माण नहीं कर रहे है। सडक का निर्माण खसरा नम्बर 151

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर)

गै0मु0 में होकर किया जा रहा है। वादीगण ने गै0मु0 रास्ता में अतिक्रमण कर रखा है। यदि विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जावे तो हम प्रतिवादीगण को एतराज नहीं है। गै0मु0 रास्ता की पैमाइस कर अतिक्रमण हटवा दिया जावे ताकि सडक निर्माण चालू किया जा सके।

हमने पत्रावली के तथ्यों व जवाव दावा व प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत छाया प्रति जमाबन्दी में विवादित आराजी खसरा नम्बर 262, 263 वादीगण की खातेदारी में दर्ज है जिसको प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण को वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 262, 263 वाके ग्राम जहाडू में होकर सडक निर्माण करने का अधिकार नहीं है। अतः वाद वादीगण सावित होने से डिक्री किये जाने योग्य है। लेकिन पतिवादीगण खसरा नम्बर 151 गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम जहाडू पर से अतिक्रमण हटाने, खसरा नम्बर 262, 263 अथवा आस पास के अन्य खसरा नम्बरान की नियमानुसार पैमाइस, नाप जोख कराकर सडक निर्माण कराने के लिये स्वतंत्र है।

आदेश

दावा वादीगण आराजी खसरा नम्बर 262, 263 वाके ग्राम जहाडू तहसील कठूमर वावत डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकाकवट वो मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल ना करें। उक्त आराजी में होकर सडक निर्माण ना करें। प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 151 गै0मु0रास्ता वाके ग्राम जहाडू पर से अतिक्रमण हटाने, खसरा नम्बर 262,263 अथवा आस पास के अन्य खसरा नम्बरान की नियमानुसार पैमाइस, नाप जोख कराकर सडक निर्माण कराने के लिये स्वतंत्र रहेगें। पत्रावली फैसल सुमार नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 04.05.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद पत्र संख्या 1/549/2015

वउनवान

1. गुलजारी पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी जहाडू
2. मुकेश पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी जहाडू
3. विजयसिंह पुत्र प्रभाती जाति जाट निवासी जहाडू
4. रघुवीर पुत्र प्रभाती जाति जाट निवासी जहाडू
5. बसन्ती पुत्री प्रभाती पत्नी अतरसिंह जाति जाट निवासी जहाडू हालवासी कांटबाडी
6. लोकेश पुत्र नन्दलाल जाति जाट निवासी जहाडू
7. भूपसिंह पुत्र नन्दलाल जाति जाट निवासी जहाडू
8. सुनीता पत्नी स्व0 नन्दलाल जाति जाट निवासी जहाडू तहसील कठूमर

——— डिक्रीदारान

बनाम

1. कार्यक्रम अधिकारी नरेगा पंचायत समिति कठूमर
2. ग्राम पंचायत जहाडू जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जहाडू
3. सचिव ग्राम पंचायत जहाडू पंचायत समिति कठूमर तहसील कठूमर

——— मदयूनान

दावा हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादीगण आराजी खसरा नम्बर 262, 263 वाके ग्राम जहाडू तहसील कठूमर वावत डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट वो मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल ना करें। उक्त आराजी में होकर सडक निर्माण ना करें। प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 151 गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम जहाडू पर से अतिक्रमण हटाने, खसरा नम्बर 262, 263 अथवा आस

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

पास के अन्य खसरा नम्बरान की नियमानुसार पैमाइस, नाप जोख कराकर सडक निर्माण कराने के लिये स्वतंत्र रहेगें।

आज दिनांक 04.05.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मूहर अदालत से जारी की गई।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर